संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1986

लोक सभा	–	आठवीं लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	ज्ञानी जैल सिंह
भारत के उपराष्ट्रपति	–	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के प्रधानमंत्री	–	श्री राजीव गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	–	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

1986 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं नये सदस्यों को बधाई देता हूं।

पिछले साल संसद ने अपनी कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण ढंग से और सहयोग के वातावरण में चलाई। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनायें देता हूं।

जुलाई, 1985 में सरकार ने पंजाब में जटिल और कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एकता और अखण्डता की ताकतों को मजबूत किया जाए। सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर नीति निर्धारित की गई। आतंकवाद पर लोकतंत्रीय प्रणाली की जीत हुई। पंजाब में शांतिपूर्ण चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में लोग अमन-चैन और सामान्य स्थिति कायम करने के इच्छुक हैं।

जिन लोगों को जनादेश मिला है उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। उनका सबसे पहला काम यह है कि वे ऐसे लोगों को अलग-थलग कर दें जो साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति को भंग करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इस काम में उन्हें उन सभी राजनीतिक ताकतों का समर्थन मिलेगा जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए वचनबद्ध हैं। विघटनकारी ताकतों के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि सभी

धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतें, हमारे संविधान में शामिल राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के उन मूल्यों की, जो भारत की एकता के आधार हैं, रक्षा के लिए मिलकर एक जन-अभियान चलाएं।

असम समझौते के बाद वहां विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है।

सरकार पंजाब और असम समझौतों को पूरी तरह लागू करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार उन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जिनकी देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसात्मक घटनाओं में जानें गईं या जो लोग घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। सार्वजनिक जीवन में हिंसा हमारी सभ्यता की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। एक वर्ग या दूसरे वर्ग द्वारा समझी जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसा का बार-बार सहारा लेने से उन लोगों को गहरी तकलीफ होनी चाहिए जो लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं। हालांकि, सरकार को जहां कहीं भी हिंसा हो, उसे सख्ती से दबाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं, उन्हें लोगों के बीच जाकर अपने लगातार और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के जरिये हिंसा के मूल कारणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साम्प्रदायिक और दूसरी प्रकार की हिंसा से छोटे-मोटे लाभ हासिल करने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए।

साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर खतरा बनी हुई है। धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरपन से खतरा और बढ़ता जा रहा है। ये प्रवृतियां प्रतिक्रियावाद सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतीक हैं, जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध गरीबों और शोषितों के संघर्ष को कमजोर करती हैं। धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् को दृढ़ निश्चय के साथ व्यवस्थित रूप में कार्य करना होगा।

मैंने अपने 17 जनवरी, 1985 के भाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की थी। मैं मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा रहा हूं:-

(i) एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्धता;

(ii) प्रशासनिक सुधार;

(iii) न्यायिक सुधार;

(iv) एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति;

(v) महिलाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम;

(vi) राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने और श्रेष्ठता हासिल करने के कार्यक्रमों में युवकों को शामिल किया जाना;

(vii) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना;

(viii) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना;

(ix) एक नई कपड़ा नीति; और

(x) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा के उपायों की पूरी जांच।

मेरी सरकार ने पिछले साल के लिए जो कार्य निर्धारित किए थे वे बहुत हद तक पूरे कर लिए हैं।

दल-बदल विरोधी अधिनियम अब विधि पुस्तक में शामिल है। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान दिए जाने को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने सार्वजनिक जीवन में एक नया वातावरण कायम करने की कोशिश की है। इससे राष्ट्रीय विश्वास को शक्ति मिली है। सभी वर्ग के लोगों में सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने की गहरी भावना और भारी उत्साह पाया गया जो पिछले साल की एक विशेषता रही। इन्हीं गुणों के आधार पर हमें सार्वजनिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सभी स्तरों पर ठोस कार्मिक प्रबंध और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया गया है। सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की उचित व्यवस्था मौजूद है। इसके परिणामों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के लागू किए जाने पर निगाह रखने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई है। सरकार के सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं बनाएं। इन्हीं के आधार पर उनकी प्रगति को आंका जाएगा। प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रणाली को और अच्छा बनाने पर गहराई से विचार हो रहे हैं, ताकि निर्णय जल्दी लिए जा सकें और उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

सरकार का न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी को खत्म करने का पक्का इरादा है। लोक अदालतों के तजुर्बों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारी न्याय प्रणाली की बुराई को दूर करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से अदालतों का भार हल्का होगा। इससे वे बकाया मामलों के निबटान में अधिक समय दे सकेंगे। हालांकि ये उपाय स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये न्याय को कम खर्चीला बनाने और न्याय को आसानी से गरीबों की पहुंच तक लाने की बुनियादी समस्या के समाधान के लिए काफी नहीं हैं। इसके लिए आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सरकार ने विधि आयोग को ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सरकार ने अगस्त, 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य था विभिन्न विषयों और विकल्पों पर व्यापक और गहन राष्ट्रीय बहस के लिए लोगों को प्रेरणा देना। सरकार को इस बात पर संतोष है कि इस बहस में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और कई उपयोगी विचार और उपाय सामने आए हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा।

सरकार ने महिलाओं की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है। महिलाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा—एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के विकास में महिलाओं को अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने के योग्य बनाना।

युवा विकास के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है, परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और इसने वन लगाने के महान कार्य को शुरू कर दिया है। हाल ही की एक बैठक में सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय भूमि प्रयोग नीति और बंजर भूमि विकास की नीतियों के प्रति एक सम्मिलित रवैया अपनाने को अपना समर्थन दिया है।

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा के प्रदूषण को रोकने का काम पूरे जोर-शोर से शुरू हो गया है।

जून, 1985 में एक नई कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सस्ते कपड़े का उत्पादन करना है। इस नीति का उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना भी है। यह विचार है कि सातवीं योजना में 70 करोड़ वर्ग मीटर कंट्रोल तथा जनता कपड़े के सम्पूर्ण उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। दि हैण्डलूम्स (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) एक्ट, 1985 को पास कर दिया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जो करोड़ों लोगों की रोज़ी का ज़रिया है, मजबूत बनाया जा सके। इस नीति को पूरी तरह और कुशलता के साथ लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के प्रबंध से सम्बंधित मामलों की जांच पूरी कर ली है और संसद के इस अधिवेशन में इस पर विधेयक लाया जाएगा।

सांस्कृतिक समरसता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करेगी जिनमें से अभी तक तीन स्थापित किए जा चुके हैं। ये केन्द्र प्रादेशिक और भाषायी सीमाओं से ऊपर उठकर हमारी विविध समृद्ध क्षेत्रीय

सांस्कृतिक परम्पराओं और उनमें निहित एकता को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ गुणों को जनसाधारण तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन और संघर्षों के साथ उनका समन्वय स्थापित करेंगे। उपनिवेशक काल में जनता और भारतीय संस्कृति को जीवित परम्पराओं के बीच खड़ी की गई दीवार को तोड़ना होगा। साथ ही इन केन्द्रों का उद्देश्य लोक-कला को नई शक्ति प्रदान करना होगा, जिसने हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया है।

अब मैं अपनी अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा करूंगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना की बुनियादी नीति निर्धनता दूर करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के दीर्घकालीन ध्येय को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल क्षेत्रों में काफी मात्रा में पूंजी लगाई जाए।

योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पक्के इरादे से और पूरी तरह वचनबद्ध होकर पूंजी निवेश के लिए काफी मात्रा में साधन जुटाएं। एक मजबूत, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अथक परिश्रम, त्याग और मुश्किलें बर्दाश्त करने की जरूरत है। विकास के मार्ग में मुद्रास्फीति रुकावट न बने, इसके लिए बचत के काफी साधन जुटाने होंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बचतों का इस्तेमाल कारगर ढंग से किया जाए। हमें चुनौती का सामना करना होगा। विकास के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू करने के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक करोड़ पचास लाख परिवारों को सहायता पहुंचाना था। वास्तव में, इससे एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को फायदा हुआ, जिनमें चौंसठ लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे। इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है और अनाज के अतिरिक्त भण्डार का उपयोग वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जिससे 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवास की सुविधाएं देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सौ करोड़ रुपये सालाना की व्यवस्था की गई है।

दो लाख 31 हजार गांव ऐसे थे जहां पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं था। इनमें से एक लाख 92 हजार गांवों को मार्च, 1985 के अंत तक पीने के पानी का कम से कम एक साधन अवश्य उपलब्ध कराया गया। 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम में और तेजी लाई गई।

वर्ष 1985-86 में कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हुई है। नवम्बर, 1985 में, सरकार के पास अनाज का भंडार 1984 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक था। इसके फलस्वरूप सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और दूसरे अभावग्रस्त वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, गर्भवती माताओं, बच्चों आदि के लिए खास रियायती दामों पर गेहूं और चावल बांटने की योजना चलाई है। खरीफ की फसल के लिए निश्चित क्षेत्रों में एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई है। सरकार ऐसी योजनाओं का और अधिक विस्तार करने पर विचार कर रही है।

1985-86 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सरकार की नीति के कारण पूंजी निवेश का एक उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ है। बुनियादी उद्योगों का कार्य अच्छा रहा है। पिछले साल के पहले नौ महीनों की तुलना में बिजली का उत्पादन 8.2 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 12.9 प्रतिशत और उर्वरक का उत्पादन 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। हमारे बन्दरगाहों में 13.2 प्रतिशत अधिक माल लादा-उतारा गया है और रेलवे ने माल ढोने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।

वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय योजना लागत में विशेषकर निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास और बुनियादी उद्योगों पर 1984-85 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य योजनाओं के लागत में काफी वृद्धि की गई थी। सरकार 1985-86 में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता पर 1650 करोड़ रुपये और उर्वरक आर्थिक सहायता पर 2050 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया और उपयुक्त सप्लाई प्रबन्ध से जरूरी चीजों की कमी नहीं होने दी गई। यह बहुत संतोष की बात है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

कर वसूली का काम उत्साहजनक रहा है, जिससे निराशाजनक स्थिति का अनुमान गलत साबित हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल कर वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले दस वर्षों में सबसे ज्यादा है। कर की चोरी करने वालों, तस्करों और कालाबाजारियों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया गया था। जो कर्मचारी आर्थिक अपराधियों से मिलीभगत के दोषी पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सरकार आर्थिक जीवन को साफ-सुथरा बनाने और कालेधन की बुराई को खत्म करने का पक्का इरादा रखती है।

पहली बार, पंचवर्षीय योजना की अवधि तक की एक दीर्घकालीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई है सरकार को विश्वास है कि इस नीति से अवश्य ही आर्थिक प्रगति होगी और लाभकारी निवेश तथा रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार होगा।

सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था के ढांचे संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक पूंजी निवेश के स्तरों में लगातार वृद्धि होती रहे, इसी पर भारत का विकास निर्भर करता है इन निवेशों के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार होगी? पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर किए गए पूंजी निवेश से काफी लाभ मिलना चाहिए। उत्पादन लागत में कमी करनी होगी। राष्ट्रीय बचत के हर पैसे का उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। नहीं तो आत्मनिर्भर विकास की गति को कायम रखने, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों का विस्तार करने और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर अपेक्षित पूंजी निवेश के लिए वास्तविक साधनों को हासिल करना कठिन होगा। देर-सवेर, बल्कि जल्दी ही हमें स्थिति की असलियत का सामना करना है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि विकास, सामाजिक न्याय, मूल्यों में स्थिरता और आत्मनिर्भरता के बिना कार्यकुशलता, अनुशासन और जिम्मेदारी के हासिल किया जा सकता है। समकालीन इतिहास हमें ऐसे खतरों से सावधान करता है।

हमें उत्पादन में काम आने वाले सामान की लागत को कम करना होगा और निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कमी करनी होगी। नहीं तो देश तथा विदेश के बाजारों में हमारा माल बिक नहीं पाएगा। उत्पादकता के निम्न स्तरों और उत्पादन की ऊंची लागत के आधार पर एक आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर मौजूदा औद्योगिक प्रतिष्ठान हर साल घाटे में चलें, तो रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा किए जा सकते। परिचालन कार्य में कुशलता न होने से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप अवश्य ही कीमतों में वृद्धि होती है और वास्तविक निवेश में कमी हो जाती है।

योजना की प्रक्रिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी क्षमता से कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं और सख्त निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों में त्याग निहित है, परन्तु इनके बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं होगा। निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विकास निहायत जरूरी है। क्या हम ऐसे निर्णयों को टाल सकते हैं, जिनसे विकास की यह प्रक्रिया सुरक्षित और मजबूत हो? राष्ट्रों का निर्माण ऐसी पीढ़ियों द्वारा किया जाता है जो एक सुन्दर भविष्य के लिए त्याग करती हैं।

भुगतान शेष की स्थिति से इसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है। 1985-86 में हमारे निर्यात में मंदी रही है और हमारा आयात बढ़ा है पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों का आयात देश की क्षमता से काफी अधिक हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या नहीं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को रोकना होगा और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपने पूंजीगत माल के आयात पर भी नए सिरे से गौर करना होगा। हम नई टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा। परन्तु हमें यह देखना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जरूरत के कठिन मापदण्ड की पूर्ति करे। बाहर से वित्तीय साधनों की जरूरत है, किन्तु सरकार का दृढ़ निश्चय है कि भारत कभी भी विदेशी बैंकों और संस्थाओं की दया पर निर्भर न रहे। हमारे विकास के सिद्धांत का केन्द्र बिन्दु आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है। हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हर कीमत चुकाएंगे।

गुटनिरपेक्षता, शांति और परमाणु नि:शस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति के बुनियादी उद्देश्य बने हुए हैं। इनसे दोस्ती और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार होगा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।

सोवियत संघ और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय बातचीत शुरू हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। यह जरूरी है कि परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की व्यापक संधि के लिए कदम उठाए जाएं। छह राष्ट्रों द्वारा इस संबंध में पहल की गई है। जनवरी, 1985 में दिल्ली में की गई घोषणा का सारे संसार के जनमत पर अच्छा असर पड़ा है, छह राष्ट्रों के नेता अगले कदमों के बारे में एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

पिछले वर्ष में उप-महाद्वीप के वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हमने अनेक क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में प्रगति की है परन्तु हम श्रीलंका में जातीय समस्या से उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिशों से चिंतित हैं। हम यह मानते हैं कि श्रीलंका की स्थिति केवल राजनीतिक आधार पर ही हल की जा सकती है, सैनिक हल ढूंढ़ने की कोशिशें असफल रहेंगी और इसका परिणाम यह होगा कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

ढाका में दिसम्बर, 1985 में हुई दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था (सार्क) की स्थापना का सरकार स्वागत करती है। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में दोस्ती और सहयोग की शक्तियों को बल मिलेगा।

सरकार ने तनाव के मुख्य क्षेत्रों को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अक्तूबर में बहामा में हुई राष्ट्रमण्डल देशों की बैठक में, जिसमें हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने दक्षिण अफ्रीका के संबंध में राष्ट्रमण्डल समझौते के स्वीकार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति पर चलने वाली सरकार के विरुद्ध पूर्ण अधिदेशात्मक प्रतिबंधों की लगातार मांग कर रहे हैं। यदि वहां की सरकार, तथा वे सरकारें जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को समझाने की स्थिति में हैं, समय रहते कार्य नहीं करेंगे तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा को टाला नहीं जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ में भी भाग लिया। राष्ट्रमण्डल देशों के नेताओं द्वारा विश्व व्यवस्था के संबंध में स्वीकार की गई नसाऊ घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का समर्थन करना हमारी विदेश नीति का एक मुख्य अंग है। हम बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए बढ़ते हुए खतरे तथा एक पक्षीय कार्यवाही का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिन्तित हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन करती है और साथ ही उपनिवेशिक शासन के अधीन लोगों को अपने न्यायपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करने के अधिकारों को मान्यता देती है।

सरकार को इस बात का खेद है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जिनमें उनका अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार भी शामिल है। जब तक इस बुनियादी समस्या को हल नहीं किया जाता, पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित नहीं होगी।

प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ, मिस्र, फ्रांस, अल्जीरिया, अमरीका, भूटान, ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैण्ड्स, वियतनाम, जापान, ओमान तथा मालदीव की सरकारी यात्रा की। प्रधान मंत्री की सोवियत नेताओं से मास्को में बातचीत से सोवियत संघ के साथ हमारे परम्परागत गहरे मैत्री संबंध और मजबूत हुए हैं। अमरीका की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने भीषण समुद्री तूफान के समय बांग्लादेश के लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए ढाका की यात्रा की तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना के लिए बुलाई गई राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान यूनेस्को में भाषण दिया। उन्होंने जिनेवा में आईएलओ के वार्षिक सम्मेलन में भी भाषण दिया। नेपाल नरेश, भूटान नरेश, नीदरलैण्ड की महारानी, मैक्सिको, मालदीव, स्वापो, श्रीलंका, तंजानिया, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, इथोपिया के राज्याध्यक्ष और पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, मॉरीशस, ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य एवं त्रिनिडाड व टोबेगो के प्रधानमंत्री हमारे देश की राजकीय यात्रा पर आए। नार्वे के युवराज तथा राजकुमारी और पोप ने भी भारत की यात्रा की।

अब मैं वर्ष 1986-87 तथा उसके बाद के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

समय की मांग है कि गरीबों के रहन-सहन के दर्जे को ऊंचा उठाया जाए। इस बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित करेगी:—

(1) सभी गांवों में पीने का पानी;

(2) निरक्षरता दूर करना;

(3) बच्चों को टीके लगाना तथा उनका प्रतिरक्षण;

(4) तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन; और

(5) विकसित संचार सुविधायें।

इस वर्ष के दौरान उद्योग और कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा। चुने हुए क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी मिशन भारत के वैज्ञानिक कार्यकलापों को पहली पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे।

एक व्यापक कृषि नीति बनाई जाएगी जिससे कि साधनों का समुचित उपयोग हो सके, जल और मिट्टी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जाए और तिलहन तथा दालों की पैदावार को बढ़ाकर अनाज के मामले में कड़ी मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।

यह संतोष की बात है कि जल को एक राष्ट्रीय संसाधन समझने पर राष्ट्रीय सहमति तैयार हुई है। सरकार राष्ट्रीय जल नीति के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे कृषि, उद्योग और दूसरी सामाजिक जरूरतों के लिए जल का अधिकतम उपयोग होगा।

सरकार ने हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का गहन विश्लेषण किया है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन के लिए एक अधिक कारगर नीति तैयार की जा रही है जिसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों पर आधारित एक नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर गरीबी के सभी पहलुओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य प्रयास के रूप में सभी तत्वों, नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर जिसमें आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया गया है, पूरी नज़र रखी जाएगी।

जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में गति लाने और भारतीय उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उद्योग नीति को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता है। हमारी उद्योग नीति में पहले ही काफी परिवर्तन किए गए हैं, जो कि अब आधुनिकीकरण के नए आयाम, नयी तकनीकों के समावेश तथा देशी तकनीकी के विकास के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊंची लागत और अकुशल उद्योगों से गरीबों को तकलीफ होती है क्योंकि ये उन साधनों को अपने में समा लेते हैं जो गरीबों को नए रोजगार दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं में हर सम्भव वृद्धि करना गरीबी हटाने की हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए उत्पादन का पैमाना, क्षमता उपयोग, स्वदेशी टेक्नॉलोजी की भूमिका, श्रम उत्पादकता, विस्तृत नियंत्रक कार्यप्रणाली, भविष्य में लघु और मध्यम उद्योगों के महत्व और मौजूदा प्रशासनिक तथा प्रबंध-तंत्र का संचालन करने वाली नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। उद्योगों को चाहिए कि वे विशाल जन समुदाय की सेवा करें।

भुगतान शेषों की एक व्यावहारिक स्थिति बनाए रखने की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी जरूरत है। इन क्षेत्रों की उन्नति में किसी तरह की असावधानी हमारी सम्पूर्ण विकास नीति को ही संकट में डाल देगी। सरकार इस अहम क्षेत्र में नई पहल करेगी।

हमारे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सरकार में प्रबन्ध को नई सामाजिक विचारधारा के अनुरूप ढालना है। यह ऊपर से कुछ लादने का प्रश्न नहीं है। सुधार की भावना अन्दर से आनी चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्रीय समुदाय को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। इसी प्रकार एक ठोस कार्यक्रम सामने आएगा। हमारे प्रशासन में कार्यकुशलता और जिम्मेदारी की भावना आनी चाहिए।

हमें अपनी बुनियादी राजनैतिक संस्थाओं को स्वस्थ और प्राणवान रखने के लिए अपने चुनाव संबंधी तथा अन्य कानूनों को बदलने की जरूरत होगी। सरकार ठोस सुझावों के लिए राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से विस्तार के साथ सलाह-मशविरा करेगी जिससे कि सार्वजनिक जीवन को और साफ-सुथरा बनाया जा सके।

एक शक्तिशाली भारत की कल्पना तभी साकार होगी जबकि पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक जीवन में चरित्र-बल, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठता के प्रति वचनबद्धता होगी। मानव संसाधनों के विकास के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय जीवन में गुणों का विकास करना है। नई शिक्षा, नीति का एक अभिन्न अंग होगी। इसका उद्देश्य सद्भावनापूर्ण वातावरण में समाज का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना होगा।

केवल लक्ष्यों की बात करना काफी नहीं होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में आवश्यक साधन मिलते रहें, इसके लिए राष्ट्रीय गतिशीलता आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों को नई दिशा देने में युवकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, कामगारों तथा किसानों का योगदान होना चाहिए। अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा को कक्षाओं की सीमा से बाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप देना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ निश्चय और उत्पादन, दोनों ही के साथ शिक्षा को और मजबूती के साथ जोड़ना होगा ताकि हम अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकें।

आने वाले वर्ष चुनौतियों के वर्ष हैं। सरकार ने विकास में तेजी लाने, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और सामाजिक न्याय हासिल करने के अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह जरूरी है कि इन्हें लागू करने के काम की अहमियत को समझाया जाए।

पिछले वर्ष हमारी बहुत सी उपलब्धियां रहीं। हमारी जनता को हमसे बड़ी आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं। उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका प्रमुख कर्तव्य है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों और सभी राजनैतिक विचारधाराओं के संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिंसा और कट्टरता की ताकतों के साथ लड़ना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी आर्थिक क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हम दृढ़ और सम्मिलित कोशिशों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम और अधिक राजनैतिक समरसता पैदा करें, जिससे कि निर्धनता और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। आपके सामने जो कार्य करने को हैं, उनमें आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं।

जय हिन्द।